

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 21.3.16

संख्या-01स्था0-19/2016.....670...../वि0स0। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सभा सचिवालय के अधिसूचना सं0- 572, दिनांक- 10.03.16 द्वारा गठित विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग नियमावली के नियम- 1 के तहत विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग के निर्धारित कार्य निरूपण हेतु एक परामर्शदात्री समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

(1) प्रो० दिनेश उराँव
अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा, अध्यक्ष

(2) श्री सरयू राय,
मंत्री- संसदीय कार्य विभाग,
झारखण्ड सरकार सदस्य

(3) श्री हेमन्त सोरेन,
नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा सदस्य

(4) श्री इन्दर सिंह नामधारी,
पूर्व अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा सदस्य

(5) श्री राधाकृष्ण किशोर,
मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल,
झारखण्ड विधान-सभा, सदस्य

(6) प्रो० स्टीफन मराण्डी ,
स0वि0स0 सदस्य

(7) श्री अशोक कुमार
स0वि0स0 सदस्य

(8) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी,
पूर्व स0वि0स0 सदस्य

(9) श्री सिलवेस्टर टोप्पो
संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान-सभा सदस्य

क०प०उ०-


(10) श्री मधुकर भारद्वाज
संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान-सभा

सदस्य


सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, परामर्शदात्री समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

परामर्शदात्री समिति में नामित सदस्यों की कार्यवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों की होगी।


मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,


(बिनय कुमार सिंह) 21/3/16
प्रभारी सचिव


झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
ज्ञाप सं०- 01स्था०- 19/16.....671...../वि०स०, राँची, दिनांक- 21/3/16
प्रति :- सभी माननीय सदस्यगण (मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण सहित)/
झारखण्ड राज्य के सांसद (लोक-सभा एवं राज्य सभा) के सूचनार्थ प्रेषित।


(मिथिलेश कुमार मिश्र)


संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
ज्ञाप सं०- 01स्था०- 19/16.....671...../वि०स०, राँची, दिनांक- 21/3/16
प्रति :- मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड
मा० झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, प्रधान सचिव,
योजना-सह वित्त विभाग/ सचिव मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी/ संसदीय कार्य
विभाग/ सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/
महालेखाकार, पोस्ट- हिन्नु, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


21.3.16

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
ज्ञाप सं०- 01स्था०- 19/16.....671...../वि०स०, राँची, दिनांक- 21/3/16
प्रति :- महासचिव, लोक-सभा/ राज्य सभा/ सभी राज्य विधान-सभा/
विधान परिषद् के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


21.3.16

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
ज्ञाप सं०- 01स्था०- 19/16.....671...../वि०स०, राँची, दिनांक- 21/3/16
प्रति :- स्थापन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/ वेबसाइट शाखा,
झारखण्ड विधान-सभा/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा, झारखण्ड
विधान-सभा/ सभी अपर सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर
सचिव, झारखण्ड विधान-सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


21.3.16

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

५७५०५०

--:3:--

ज्ञाप सं०- 01स्था०- 19/16.....67.1.....वि०स०, राँची, दिनांक- 21/3/16
प्रति :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची के सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र
के अगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रकाशित अधिसूचना को 150 (एक सौ
पचास) प्रतियां विधान-सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

[Handwritten Signature] 21.3.16

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

[Handwritten Signature]
21/3/16